पत्र संख्या : 7वि॰शा/मु॰देवघर–11–04/2020–ज॰सं॰– 16

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर।
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांकः 14/09/2020

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सिंचाई प्रमंड़ल, पाकुड़ एवं सिंचाई प्रमंडल, बरहरवा को विभिन्न नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण कार्य हेतु **रू॰ 333.163 लाख (रू॰ तीन करोड तैतीस लाख सोलह हजार तीन सौ मात्र)** रूपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–05/19–20, प्र॰स्वी॰, दिनांक–18.06.2019 Online AA-798/28.06.19 एवं 28/19–20, प्र॰स्वी॰, दिनांक–26.08.2019 Online AA-1245/28.08.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2020–21** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	आबंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय/ 01–बाढ़ नियंत्रण,	789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–58–नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण	05–निर्माण 45 निर्माण कार्य / 49S471101789580545	**333.163**

आवंटित राशि – ₹ तीन करोड तैतीस लाख सोलह हजार तीन सौ मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष 2020–21 के बजट उपबंध रू॰ 730.00 लाख (रू॰ सात करोड़ तीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि योजना–सह–विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक–1643, दिनांक–02.09.2020 के आलोक में विभाग के राज्य योजना के लिये कुल बजट उपबंध के 25% की राशि के अन्तर्गत है।

4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003, 1363 दि॰ 09.05.2016 तथा 2747(वि॰), दिनांक–19.09.16 के आलोक में होगा।

5. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट–1 के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।

6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

7. सरकारी नियम/ अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. परिशिष्ट–1 के स्तंभ–12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

14/09/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 16 रॉची, दिनांक :– 14/09/2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/देवघर/दुमका** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

14/09/20
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 16 राँची, दिनांक :– 14/09/2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद)	(अशोक कुमार दास)	14/09/20 **(प्रशांत कुमार)**
उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	**सचिव**

विभागीय पत्रांक......16...... दिनांक ...14/9/2020... का अनुलग्नक परिशिष्ट – 1

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष–01–बाढ़ नियंत्रण

लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,

उप शीर्ष–58–नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण

विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 निर्माण कार्य

विपत्र कोड– 49S471101789580545

वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट उपबंध रू. 730.00 लाख (रू. सात करोड़ तीस लाख) मात्र। राशि लाख रूपये में

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2020 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (7+10)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सिंचाई प्रमंड़ल, बड़हरवा (RJMIRR001)	देवघर	बड़ा पुरूलिया डांगा ग्राम में मस्जिद के सामने बायें तटबंध पर सीढी घाट के D/S में 190 मी. लम्बाई से बोल्डर क्रेटिंग कार्य।	05/19–20 दिनांक–18.06.2019 Online AA-798/28.06.19	86.38	0.00	0.000	41.330	41.330	41.330	43120	
			हरिहरा पंचायत के महेशघाटी ग्राम में सीढी घाट के समीप गुमानी नदी के बायें तटबंध पर 180 मी. में बोल्डर क्रेटिंग कार्य।		87.23	0.00	0.000	78.115	78.115	78.115		
			हस्तीपाडा पंचायत हाजी ईर्फान के घर से घोपा तथा सेताबुद्दीन के घर तक दांये तटबंध पर 220 मी. में बोल्डर क्रेटिंग कार्य।		111.67	0.00	0.000	99.587	99.587	99.587		
			मधुवापाड़ा पंयायत के बड़ा चाँदपुर ग्राम में स्व. नजरूल इस्लाम के घर के सामने गुमानी नदी के बायें तटबंध पर 125 मी. में बोल्डर क्रेटिंग कार्य।		59.99	0.00	0.000	53.721	53.721	53.721		
2	सिंचाई प्रमंड़ल, पाकुड़ (PKRIRR001)		पंचायत उदय नारायणपुर में टिकरपाड़ा कब्रिस्तान में बरगाछ जामतल्ला तक मसना नदी के किनारे कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य।	28/19–20 दिनांक–26.08.2019 Online AA-1246/28.08.19	47.25	0.00	0.000	3.680	3.680	3.680	43121	
			झिकड़हाटी (पू.) इस्लामपुर में बदरूल के घर के पीछे मसना नदी के किनारे कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य।		61.67	0.00	0.000	23.440	23.440	23.440		
			पंचायत तारानगर प्रखण्ड पाकुड में तोराई नदी किनारे ग्रमीण सडक एवं घरों में कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य।		81.39	0.00	0.000	33.290	33.290	33.290		
						योग	**0.000**	**333.163**	**333.163**	**333.163**		

आवंटित राशि – ₹ तीन करोड तैतीस लाख सोलह हजार तीन सौ मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

(प्रशांत कुमार)
सचिव